न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–83/2013

DLR-100/2017–18

गुड्डु कुमार यादव, पिता–स्व0 राजमोहन यादव एवं अन्य, ग्राम–हरिहर उर्दिना, टंडवा (नवीनगर), औरंगाबाद।

बनाम

लिलावती देवी, जौजे अमरजीत कुमार, ग्राम–जंगी बिगहा, बारूण (औरंगाबाद)

आदेश

6/4/18

यह दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/2010 में दिनांक–18.11.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध समाहर्त्ता, औरंगाबाद के न्यायालय में दायर किया गया है जिसे हस्तांतरण के फलस्वरूप इस न्यायालय को निष्पादनार्थ प्राप्त हुआ है, जिसमें खाता सं0–108 एवं 109 के विभिन्न प्लौटो के कुल रकवा–2.41 एकड़ भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों ने विद्वान अधिवक्ता को सुना।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को कहना है कि प्रश्नगत भूमि डिमांडधारी स्व0 रूप नारायण यादव के पत्नि मो0 नागमति कुंवर से निबंधित केवाला से दिनांक–23.12.2008 को क्रय किया गया है, जिसपर वे दखल कब्जा में है। जिसके आधार पर प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज करने हेतु अंचल सिरिस्ते में आवेदन पत्र दिया गया जिसपर अंचल अधिकारी, नवीनगर द्वारा राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जाँचोंपरान्त प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता के दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी एवं सरकारी रसीद भी निर्गत की जा रही है, लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा अभिलेख में संलग्न कागजी सबूतों को नजरअंदाज करते हुए अंचल अधिकारी, नवीनगर के पारित आदेश दिनांक–16.07.2009 को वसीयतनामा के बिन्दू पर निरस्त कर दिया गया, जबकि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला से दिनांक–23.12.2008 को हासिल किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए एवं पुनरीक्षणकर्त्ता का दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद स्वीकार किया जाना चाहिए। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा वाद की सुनवाई एक पक्षीय की गयी है जो अपने–आप में विरोधाभाष है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि डिमांडधारी स्व0 रूप नारायण यादव के दो पुत्री यथा उषा कुंवर जौजे राजमोहन यादव (II) लिलावती देवी जौजे अमरजीत कुमार एवं उनकी पत्नि विधवा मो0 नागमति कुंवर को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। डिमांडधारी के मृत्यु के पश्चात् तीनों संयुक्त रूप से प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में आए। डिमांडधारी के विधवा मो0 नागमति कुंवर को सम्पूर्ण भूमि पर अधिकार नहीं है। अंचल अधिकारी, नवीनगर वगैर सूचना के स्थलीय जाँच कर पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। जिसे विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा अंचल अधिकारी, नवीनगर के दाखिल खारिज आदेश को निरस्त कर दिया गया जो सही है, इसे बहाल किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अवर न्यायाधीश, प्रथम औरंगाबाद के न्यायालय में बँटवारा वाद सं0–470/2014 दायर किया गया है जो अभी लम्बित है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से विदित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि डिमांडधारी स्व0 रूप नारायण यादव के पत्नि मो0 नागमति कुंवर से निबंधित केवाला द्वारा हासिल किया गया है जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, नवीनगर द्वारा जाँचोंपरान्त प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता को दखल कब्जा पाते हुए दाखिल खारिज नियमों के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्त्ता के नाम दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत की गयी, जबकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–18.11.2011 को पारित आदेश में यह विवेचना की गयी है कि सम्पूर्ण भूमि का किसी एक पक्ष को वसीयत कर देना न्यायसंगत नहीं है, जबकि प्रश्नगत भूमि पुनरीक्षणकर्त्ता को डिमांडधारी के पत्नि मो0 नागमति कुंवर से निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त है जिसके आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता प्रश्नगत भूमि पर दाखिल काबिज है।

विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अवर न्यायधीश, प्रथम औरंगाबाद के न्यायालय में बँटवारा वाद सं0–470/2014 दायर किया गया है, जो अभी लम्बित है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा आदेश पारित करना न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–18.11.2011 को पारित आदेश नियमानुसार नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है एवं अंचल अधिकारी, नवीनगर के दाखिल खारिज वाद सं0–459/2009–10 में दिनांक–16.07.2009 को पारित आदेश दाखिल खारिज नियमों के अनुकूल पाते हुए बहाल किया जाता है।

तद्नुसार पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा दायर दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद ....स्वीकृत किया जाता है।

इस प्रकार वाद का निष्पादन किया जाता है।

इस आशय की सूचना निम्न न्यायालय को दें।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।

06/3/18
अपर समाहर्त्ता,
औरंगाबाद।